

एफआरडीआई में बदलाव बेहद जरूरी : एसोचैम

एफआरडीआई बिल में जरूरी
बदलाव करने की हिदायत

एजेंसी|नई दिल्ली

बैंकों में जमा आम आदमी के पैसों पर आंच न आए इसके लिए इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) बिल में जरूरी बदलाव करने की हिदायत दी है।

एसोचैम ने कहा कि बिल में जमा

पूंजी की सुरक्षा को लेकर तस्वीर साफ की जानी चाहिए। उसने सरकार को यह भी हिदायत दी कि वह बिल के 'बेल-इन' प्रस्ताव को हटा दे जो जमाकर्ता को भी क्रेडिट्स के तौर पर गिनता है। एफआरडीआई बिल में दिए गए बेल-इन प्रस्ताव का मतलब है कि जब भी कोई बैंक दिवालिया होगा तो उसे बचाने का भार सिर्फ सरकार ही नहीं उठाएगी, बल्कि जमाकर्ता को भी थोड़ा भार उठाना पड़ेगा।

बैंक में पैसा सुरक्षित रखने के लिए एफ.डी.आर.आई. में बदलाव जरूरी : एसोचैम

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर (एजेंसी): बैंकों में जमा आम आदमी के पैसों पर कोई आंच न आए इसके लिए इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने फाइनेंशियल रैजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इश्योरेंस (एफ.आर.डी.आई.) बिल में सरकार को जरूरी बदलाव करने की हिदायत दी है। एसोचैम ने कहा कि बिल में आम आदमी की जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर तस्वीर साफकी जानी चाहिए।



उसने सरकार को यह भी हिदायत दी कि वह एफ.आर.डी.आई. बिल के 'बेल-इन' प्रस्ताव को हटा दे जो जमाकर्ता को भी क्रेडिट्स के तौर पर गिनता है। एफ.आर.डी.आई. बिल में दिए गए बेल-इन प्रस्ताव का मतलब है कि जब भी कोई बैंक दिवालिया होगा तो उसे बचाने का भार सिर्फ सरकार ही नहीं उठाएगी, बल्कि जमाकर्ता को भी थोड़ा भार उठाना पड़ेगा।

बैंकों में खत्म होगा लोगों का विश्वास

एसोचैम के महासचिव डी.एस. रावत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंकों में लोगों का जो विश्वास बना है, वह खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से सरकार के सामने नई चुनौतियां आएंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो पैसा बैंकों में जमा हो रहा है, इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद वह अन्य गैर-जरूरी क्षेत्रों में लगना शुरू हो जाएगा।

बैंक सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार

रावत ने कहा कि बिल में दिए गए इस प्रस्ताव को भारतीयों को ध्यान में रखकर पूरी तरह निकाल दिया जाना चाहिए। भारत में मध्यम वर्गीय व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में रखी जमा पूंजी ही सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में पश्चिमी देशों में लागू किया गया मॉडल नहीं लाया जाना चाहिए।

बैंक में रखा पैसा रहे सुरक्षित, FRDI में बदलाव जरूरी : एसोचैम

नई दिल्ली, एजेंसी।

बैंकों में जमा आम आदमी के पैसे पर कोई आंच न आए, इसके लिए इंडस्ट्री बांडी एसोचैम ने फाइनेंशियल रजाल्यूशन एंड डिपॉजिट इश्योरेंस (एफआरडीआई) बिल में सरकार को जरूरी बदलाव करने की हिदायत दी है।

एसोचैम ने कहा है कि बिल में आम आदमी की जमा पूंजी को सुरक्षा को लेकर तय्यार साफ की जानी चाहिए, उसने सरकार को ये भी हिदायत दी है कि वह

एफआरडीआई बिल के 'बिल-इन' प्रस्ताव को हटा दे, जो जमाकर्ता को भी क्रेडिटर्स के तौर पर गिनता है।

एसोचैम ने एक बयान जारी कर बताया कि बिल के इस 'बिल-इन' प्रस्ताव ने आम लोगों के बीच बैंक में

हिदायत

सरकार एफआरडीआई बिल के 'बिल-इन' प्रस्ताव को हटा दे

जमा अपने पैसे का लेकर सशय की भावना पैदा कर दी है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि बिल में दिए गए इस प्रस्ताव को भारतीयों को ध्यान में रखकर पूरी तरह निकाल दिया जाना चाहिए। क्योंकि आम आदमी के पैसे की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। रावत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो बैंकों में लोगों का जो विश्वास बना है वह खत्म हो जाएगा।

इसकी वजह से सरकार के सामने नई चुनौतियां आएंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो पैसा बैंकों में जमा हो रहा है इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद वह अन्य गैरजरूरी क्षेत्रों में लगना शुरू हो

जाएगा। लोग बैंकों में पैसा रखना करने के लिए उसे रियल इस्टेट, मोना और ज्वेलरी खरीदने में खर्च करेंगे।

रावत ने आगे कहा कि भारत में मध्यम वर्गीय व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में रखी जमा पूंजी ही सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। बैंक में रखी जमा पूंजी ही उनकी वित्तीय सुरक्षा होती है।

उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में पश्चिमी देशों में लागू किया गया मांडल नहीं लाया जाना चाहिए। एफआरडीआई बिल में दिए गए 'बिल-इन' प्रस्ताव का मतलब है कि जमा पूंजी कोई बैंक दिवालिया होगा तो उसे बचाने का भार सिर्फ सरकार पर नहीं उठाएगी, बल्कि बैंक को बचाने के लिए जमाकर्ता को भी थोड़ा भार उठाना पड़ेगा।